

NON NPA, NPA योजना के लिए आफलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए प्रारूप

शिकायत संख्या हेल्प डेस्क द्वारा भरी जायेगी। (जनपद का कोड + 000001 से प्रारम्भ करें।	
शिकायत का प्रकार NON NPA या NPA	
किसान का नाम	
पिता/पति का नाम	
लिंग	पुरुष/महिला
मोबाइल नम्बर १० डिजिट	
आधार नम्बर १२ डिजिट	
जाति सामान्य (Gen)/अनुसूचित जाति (SC)/अनूसूचित जन जाति (ST) OBC जाति सामान्य में मानी जायेगी।	
जनपद का नाम जहां के रहने वाले हैं	
तहसील का नाम जहां के रहने वाले वाले हैं	
गांव का नाम जहां के रहने वाले हैं	
जनपद का नाम जहां से लोन लिया है	
बैंक का नाम जिससे लोन लिया है	
ब्रान्च का नाम जिससे लोन लिया है	
के.सी.सी खाता नम्बर जिससे लोन लिया है (के.सी.सी खाता 31-03-2016 से पहले की या बराबर होनी चाहिए)	
बचत खाता संख्या केवल कोपरेटिव बैंक से लोन लेने की दशा में	
किसान की श्रेणी लघु किसान १ हेक्टेयर या कम सीमान्त किसान २ हेक्टयर तक	
दस्तावेज जिस पर लोन लिया गया खतोनी /पट्टा जो कि भूअभिलेखों में दर्ज हो।	
कस्टमर आई.डी बैंक पासबुक के अनुसार 31-03-2016 को के.सी.सी खाते में अवशेष धनराशि	
योजना का कोड	
01-04-2016 से 31-03-2017 तक के.सी.सी खाते में किसान द्वारा जमा की गयी धनराशि	
के.सी.सी एकाउन्ट का प्रकार एकल खाता / संयुक्त खाता	
NPA घोषित किये जाने का दिनांक	
NPA की श्रेणी	
किसान वर्तमान में जीवित नहीं तो सामने दिये गये चेकबाक्स में चेक करें।	
यदि जीवित नहीं तो उत्तराधिकारी का नाम भरें (नाम भरना अनिवार्य है।	
शिकायत अधिकतम 500 शब्दों में लिखें।	
क्या NON NPA एवं NPA में उसका डाटा बैंक द्वारा उपलब्ध कराया था	हां /नहीं
क्या उसके द्वारा पूर्व में शिकायते आनलाइन/आफलाइन दर्ज करायी थी यदि हां तो पूर्व में की गयी शिकायत का नम्बर भरें	हां /नहीं पूर्व में की गयी शिकायत संख्या भरें
	हां /नहीं

प्रमाणित करता हुँ कि मुझे अभी तक योजना में किसी प्रकार का कोई लाभ मिला है।	
पूर्व में जो आधार नम्बर मेरे द्वारा उपलब्ध कराया गया था वह स्वयं का ही दिया था एवं एक से अधिक बैंकों से ऋण लेने की दशा में मेरे द्वारा सभी स्थानों पर स्वयं का ही आधार नम्बर सभी खातों में दिया था। एवं इस शिकायत में भी वहीं आधार नम्बर दिया जा रहा है।	सहमत/असहमत
प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा केवल एक ही जनपद की बैंक से लोन लिया है। यदि अन्य जनपद की बैंकों से भी लोन लिया है तो उसे उस जनपद में तो योजना का लाभ नहीं मिल गया है।	सहमत/असहमत
किसान लघु किसान की श्रेणी में आता है। मेरे पास मेरे स्वामित्व की पूरे प्रदेश में २ हेक्टर से अधिक नहीं है। किसान सीमान्त श्रेणी का किसान है। मेरे पास मेरे स्वामित्व की पूरे प्रदेश में १ हेक्टर से अधिक नहीं है।	सहमत/असहमत

आधार की छायाप्रति संलग्न की है

खतौनी की प्रति संलग्न की है बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न की है

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा सभी सूचनायें सही एवं पूर्ण रूप से भरी गयी हैं। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर मेरा प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जाय जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा होगा। ऋण मोचन योजना का लाभ लेने के लिए मैं अपने आधार नम्बर के प्रयोग के लिए अपनी सहमति देता हुँ।

नोट- प्रार्थना पत्र २ प्रतियों में दिया जायेगा। एक पर हेल्प डेस्क द्वारा शिकायत संख्या डालकर उपलब्ध कराया जायेगा। प्राप्ति अवश्य प्राप्त कर लें।

किसान का हस्ताक्षर

शिकायत का दिनांक

हस्ताक्षर

प्राप्त कर्ता का नाम

प्राप्ति का दिनांक

मोहर